न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 07/2011

प्रार्थी

सरकार जरिए प्रवर्तन निरीक्षक सिरोही, जिला–सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री सोनाराम पुत्र श्री मंजीराम कलबी निवासी एफपीएस डीलर बांट मृतक के कायम पत्नि वाली देवी।

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम, सिरोही
2. अप्रार्थी स्वयं।

निर्णय

दिनांक 04.05.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 17.07.2010 को प्रवर्तन निरीक्षक सिरोही द्वारा अप्रार्थी की उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण किया तो उसमें केवल 182 कट्टे (91 क्विंटल) गेहूं एवं 2130 लीटर केरोसीन मिला। जिसे कब्जे सरकार लेकर धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपराध होने से गेहूं व केरोसीन को जरिये फर्द कब्जे लिया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत समयपहरण (Confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया है ।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया जिस पर अप्रार्थी की ओर से स्वयं उपस्थिति दी गई।

सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम एवं अप्रार्थी की बहस सुनी गई तो प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि दिनांक 17.07.2010 को अप्रार्थी की दुकान का निरीक्षण किया गया तो उसमें केवल 182 कट्टे (91 क्विंटल) गेहूं एवं 2130 लीटर केरोसीन मिला जबकि स्टॉक रजिस्टर के अनुसार अप्रार्थी के पास 144.75 क्विंटल गेहूं होना चाहिए था लेकिन वक्त निरीक्षण अप्रार्थी के पास केवल 91 क्विंटल गेहूं मिला। इसी प्रकार चीनी का स्टॉक 04.15 क्विंटल होना चाहिए था परन्तु वक्त निरीक्षण अप्रार्थी के पास चीनी का स्टॉक शून्य था। इसी प्रकार अप्रार्थी के पास 27.61 लीटर केरोसीन होना चाहिए था परन्तु वक्त निरीक्षण 2130 लीटर केरोसीन मिला। अतः 91 क्विंटल गेहूं एवं 2130 [illegible] केरोसीन मय 10 लोहे के ड्रमों को कब्जे सरकार लेकर निस्तारण हेतु [illegible] अतः केरोसीन ज्वलनशील पदार्थ है, जिसे लम्बे समय तक पड़े रहने से लीकेज [illegible] आग लगने की सम्भावना है। अतः उसे समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:21:01 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी स्वयं द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान आकृषित करते हुए निवेदन किया कि कब्जे सरकार लिये गये, उक्त केरोसीन व गेहूं को उनके मालिकी का होने से लौटाये जाने के आदेश प्रदान करावे।

दोनो पक्षो की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो मै इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि दिनांक 17.07.2010 को अप्रार्थी की दुकान का निरीक्षण किया गया तो उसमें केवल 182 कट्टे (91 क्विंटल) गेहूं एवं 2130 लीटर केरोसीन मिला जबकि स्टॉक रजिस्टर के अनुसार अप्रार्थी के पास 144.75 क्विंटल गेहूं होना चाहिए था लेकिन वक्त निरीक्षण अप्रार्थी के पास केवल 91 क्विंटल गेहूं मिला। इसी प्रकार चीनी का स्टॉक 04.15 क्विंटल होना चाहिए था परन्तु वक्त निरीक्षण अप्रार्थी के पास चीनी का स्टॉक नगण्य था। इसी प्रकार अप्रार्थी के पास 27.61 लीटर केरोसीन होना चाहिए था परन्तु वक्त निरीक्षण 2130 लीटर केरोसीन मिला। अतः 91 क्विंटल गेहूं एवं 2130 लीटर केरोसीन मय 10 लोहे के ड्रमों को कब्जे सरकार लिया जाकर यह प्रकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत समयपहरण (Confiscate) करने हेतु पेश किया। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत् दण्डनीय अपराध होने से धारा 6 ए. के तहत् प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर कब्जे सरकार लिये गये 91 क्विंटल गेहूं एवं 2130 लीटर केरोसीन मय 10 लोहे के ड्रमों को समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है ।

जिला रसद अधिकारी, सिरोही कब्जे सरकार लिए गए 91 क्विंटल गेहूं एवं 2130 लीटर केरोसीन मय 10 लोहे के ड्रमों का निस्तारण नियमानुसार उपभोक्ताओं को वितरण कर/नीलाम कर प्राप्त राशि राजकीय राजकोष जमा कराने की कार्यवाही करें। चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 04.05.2021 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:21:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner